प्रपत्र–5

सुशासन गांवों के संग अभियान 2021

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरू

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) .....

पीठासीन अधिकारी :– **श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.**

उनवान

जगुराम ..... बनाम रामप्रताप सारण

दावा बाबत नाम दुरस्ती U/S 88 RTA

मुकदमा नम्बर :– 125/2022

निर्णय दिनांक :– 15.06.2022

वादी की ओर से .....की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 15.06.22 को **श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.** (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरू के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि – दावाकर्ता स्वीकार किया जाकर रोही ग्राम राकासर की जमाबंदी खाता सं. 115, 247 225 खसरा नं. 118, 124, 150, 491, 428, 460, 120, 126, 353, 456, 498, 499, 524, 543 पर अंकित जगदीश पुत्र लीकाराम के स्थान पर जगराम पुत्र लीकाराम किये जाने की घोषणा की जाती है। वादी के विरुद्ध पर के कोई अन्य व्यक्ति प्रकाश में होने या सरकारी कार्यवाही की स्थिति में पूर्ण रूप से मान्य होगा। तहसीलदार चूरू उपरोक्त राजस्व अभिलेख में आवश्यक कार्यवाही करें।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 15.06.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सत्यनारायण)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. .....रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़			

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2022.10.06 16:02:28 IST
Reason: SelfAttested

नाथ 1861 for 225
20.06.2022

नाथ 1862 for 115, 247
20.06.2022